requirement of new lines, better services, quality of services, etc. Madam has raised a very valid point and I would like to respond to it. We all know that it is not possible for the Government of India to provide ₹50,00,000 crores in the next 12 years due to Budgetary constraints. Despite that, we have almost made two-and-a half times more investment in the Railways, due to which there have been significant charges and some of it, you can feel, are like on cleanliness, quality of rakes, quality service, etc. People say that there is waiting in trains, if you want to meet the assenger rush, new facilities and a large quantity of new rakes will be required.

Now, if there are private parties who are willing to invest and operate on the existing system, which will always continue to be owned by the Indian Railways, then, I think, it is something which consumers and passengers will benefit from. Our intention is to give better service and benefits, not at all to privatize the Indian-Railways. Indian Railways is and will always continue to be the property of the people of India. The intention of the Government is to provide at best, new facilities, new services, giving better quality is what the intention of the Government is. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Right. ...*(Interruptions)*... Please. We had combined them together. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, my second supplementary. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: We had combined them together. So, now, Question No. 65.

Linking of MGNREGA wages to inflation

65. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the constraints that the Ministry is facing to link MGNREGA wages to inflation so that labour would get hiked wages every year;

(b) whether any consultations in this regard have been held with the Finance Ministry;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor:

(d) whether it is a fact that wages recommended by the Committee of Ministry of Labour and Employment for MGNREGA workers is ₹ 375/day whereas the Ministry fixed it at only ₹ 178.44/day; and

(e) if so, the reasons for not fixing the wages as recommended by the said Committee?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As per section 6(1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mahatma Gandhi NREGA), 2005, the Ministry of Rural Development notifies Mahatma Gandhi NREGA wage rate every year for all States/UTs. To compensate the Mahatma Gandhi NREGA workers against inflation, the Ministry of Rural Development revises the unskilled wage rate based on Consumer Price Index for Agricultural Labour (CPI-AL) every year for all States/UTs.

A Committee was constituted to study *inter-alia* the appropriate index for revising Mahatma Gandhi NREGA wages. The Committee recommended using Consumer Price Index-Rural instead of the existing Consumer Price Index for Agricultural Labour (CPI-AL) for revising Mahatma Gandhi NREGA wage every year. The Committee also recommended use of annual average instead of the existing practice of using December month index only. The recommendations of the Committee are under examination in consultation with other Ministries including the Ministry of Finance.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Hon. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that consumption basket of which two-third constitute food items of Consumer Price Index for agriculture labour, which determine MNREGA wages, has not been revised for many years. If so, what the Ministry is going to do to revise the consumption basket of Consumer Price Index for agriculture labour?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, मनरेगा देश का बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। जहाँ तक मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से यह तय है कि मनरेगा अपनी मजदूरी को समय-समय पर अधिसूचित करेगा। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है कि मजदूरी को काफी दिनों से संशोधित नहीं किया गया है और बासकेट को भी संशोधित नहीं किया गया है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष अप्रैल में मनरेगा की मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की जाती हैं। हम लोग अभी सीपीआईएल के अनुसार इन दरों को निर्धारित करते हैं। यह बात निश्चित रूप से

हमेशा चर्चा में रहती है कि इसके लिए सीपीआईआर का उपयोग करना चाहिए और हम लोगों ने इस दिशा में एक कमिटी भी बनाई थी, उस कमिटी की सिफारिशें भी आई हैं और उन्होंने भी कहा है कि सीपीआईएएल के स्थान पर सीपीआईआरएल का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब हमने लेबर मिनिस्ट्री में बात की, तो लेबर मिनिस्ट्री का कहना यह है कि अभी वे सीपीआईएएल और सीपीआईआरएल दोनों को संशोधित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके निर्णय का इंतजार है। जैसे ही निर्णय आएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे।

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Sir, I would like to know by when all the pending dues to Andhra Pradesh would be released.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश का सवाल हो या देश के किसी भी राज्य का सवाल हो, कहीं भी पैसा रोकने का कोई सवाल नहीं उठता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से यूसी नहीं आता है, इसमें थोड़ी-बहुत देर लगती है, लेकिन मैं आपको आवश्वस्त करना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की कोई भी pendency हमारे पास नहीं रहेगी।

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I would like to know whether the MNREGA workers will be provided the Social Security Scheme like EPF, ESI and the Pension.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" है, "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" है और काम करते समय उनके साथ जो दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं, उनके लिए निश्चित रूप से संरक्षण किया गया है।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश में कारीगरी का एक बड़ा क्षेत्र है और मधुबनी पेंटिंग्स से लेकर वार्ली पेंटिंग्स और खुर्दा के मिट्टी के बर्तन, ये सारी कारीगरी आज बहुत संकट में है। अगर मनरेगा में इस तरीके का समावेश करने का कोई सुझाव आता है, तो क्या सरकार सकारात्मकता से सोचेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी, हमारे देश में निश्चित रूप से कारीगरों के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मनरेगा का मैण्डेट सुनिश्चित है। मनरेगा के माध्यम से एक तो गाँव-गाँव में वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाता है और दूसरा, यह माँग आधारित योजना है। लेकिन, इसमें भी skill development हो, यह हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करते हैं और मनरेगा में bag wear और foot wear के नाम से हम लोग कुछ लोगों को skilled करते हैं, जो कि मनरेगा मजदूर ही होते हैं। जब वे skilled हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको मजदूरी के अलावा बाकी की देखरेख का काम भी सौंपा जाता है, जिससे उनको skill की wage मिलती है।

श्री दिग्विजय सिंह: धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने बहुत कृपा की जो मुझे अवसर दिया। माननीय, विभिन्न राज्यों की मजदूरी दर तय करने का अधिकार उनका है और अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग आर्थिक हालात हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और राज्यों की जो minimum wages हैं, उसके तहत पेमेंट करने के लिए उनको राशि उपलब्ध कराएँगे? यह मेरा प्रश्न है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, सभी राज्यों की अपनी-अपनी स्थितियाँ है। उनके कारण निश्चित रूप से उनके यहाँ न्यूनतम मजदूरी भी अलग-अलग है। इसी तरह हम देखें कि जब हम CPI के अनुसार मनरेगा की मजदूरी तय करते हैं, तो वह मजदूरी भी अलग-अलग होती है, लेकिन सामान्यत: राज्य की न्यूनतम मजदूरी को मानकर ही हम उसको allow करें दें, यह निश्चित रूप से फिलहाल संभव नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया है कि मनरेगा को अपनी मजदूरी दरें अलग से अधिसूचित करनी चाहिए। उसकी प्रक्रिया बनी हुई है और उसके जो पुराने निर्देश हैं, उन्हीं के अनुसार इस प्रक्रिया का पालन करते हुए मजदूरी का निर्धारण किया जाता है।

हाजीपुर से महुआ तक नई रेल लाईन

*66. **श्री राम नाथ ठाकुर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में हाजीपुर से महुआ के बीच एक नई लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के पश्चात् अब तक आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़ी आबादी की यातायात संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस रेल खण्ड की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र कार्यवाही आरंभ करेगी?

रेल मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हाजीपुर-महुआ नई लाइन खंड के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहरहाल, महुआ के रास्ते भगवानपुर (हाजीपुर से 20 कि.मी. दूर) - समस्तीपुर (60 कि.मी.) के बीच नई लाइन के लिए टोही इंजीनियरी-सह-यातायात सर्वेक्षण (आरईटीएस) शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण/स्वीकृति की मांग करना सतत प्रक्रिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद परियोजना के वित्तीय और आर्थिक प्रतिफल के आधार पर परियोजना की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

New railway line from Hajipur to Mahua

†*66. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a survey has been got conducted by Government recently for the construction of a new railway line from Hajipur to Mahua;

(b) if so, what further action has been taken after the survey till date;

†Original notice of the question was received in Hindi.